lower than the MSP (₹1,450 per quintal). I am awaiting ... extended the pro... for farmers' benefit. ... duce at the MSP.

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT, HARYANA

SCO No. 68-70, Sector 17-A, Chandigarh
Tel. (0172)-2703522, Fax: (0172)-2714614

ONLINE APPLICATIONS ARE INVITED FOR
MERIT-CUM-MEANS SCHOLARSHIPS FOR 2015-16

From the Students Belonging to the Minority Communities

Last Date for receipt of applications for Fresh Scholarships is 30.09.2015 & Last Date for receipt of applications for Renewal of Scholarship is 15.11.2015

On-line applications are invited in the prescribed format from the students belonging to the Minority Community, namely, Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists, Zoroastrians (Parsis) & Jains notified by the Central Government pursuing technical/professional courses (selected by Government of India Ministry of Minority Affairs) at undergraduate/post-graduate level in Institutions recognized by appropriate authorities for Merit-cum-Means scholarships for the year 2015-16 as per the eligibility criteria and conditions prescribed by the Ministry of Minority Affairs, Govt. of India.

Conditions for Scholarship:

a) Students should be resident of Haryana State.

b) Annual income of the parent or guardian (Father and Mother both) of the student should not exceed Rs. 2.5 lac from all sources.

c) Income Certificate and Minority Community Certificate should be issued by 1st Class Magistrate (SDM/Tehsildar) without which application will be rejected. The Income certificate would be valid for one year.

d) Aadhar Card Number is required to apply online.

e) Financial assistant will be given to pursue graduate level or post-graduate level technical and professional course from a recognize institution. Course Fee and Maintenance Allowance will be credited directly into the bank account of selected students.

f) Students who get admission to a college to pursue technical/professional courses, on the basis of competitive examination will be eligible for the scholarship.

g) Students who get admission in technical/professional courses without taking any competitive examination will also be eligible for scholarship. However, such students should have not less than 50% marks at higher secondary/graduation level. Selection of these students will be done strictly on merit basis.

h) Continuation of the scholarship in subsequent years will depend on successful completion of the course during the preceding year.

i) Scholarship holder under this scheme will not be able to avail any other scholarship/stipend for pursuing the course.

j) Students should fill their own Bank Account Number, Pan Card Number, to applying on-line application & their Bank Account Number should be Aadhar-enabled.

k) 30% of the scholarships are reserved for Girl Students.

Rate of Scholarship

Sr. No.	Type of Financial Assistance	Rate for Hostler	Rate for Day Scholar
1.	Maintenance Allowance for 10 months only	Rs. 10,000/- per annum (Rs. 1,000/- pm)	Rs, 5,000/- per annum (Rs. 500/- pm)
2.	Course fee*	Rs. 20,000/- per annum or actual whichever is less	Rs. 20,000/- per annum or actual whichever is less
	Total	**Rs. 30,000/-** (thirty thousand)	**Rs. 25,000/-** (twenty five thousand)

*Full course Fee will be reimbursed for the listed Institutions.

Time Line (For Fresh & Renewal Scholarships)

Sr. No.	Activities	Date (Fresh)	Date (Renewal)
1.	Submission of online applications for Fresh/ Renewal scholarships by students	01st June to 30th September, 2015	1st June to 15th Nov. 2015
2.	Scrutiny of online application by Institutes.	01st June to 20th October, 2015	1st June to 25th Nov. 2015
3.	Scrutiny of online applications by State.	01st June to 31st October, 2015	1st June to 5th Dec. 2015

HOW TO APPLY:

a) Eligible students can apply online on the website **www.scholarships.gov.in.** Students will forward their applications online to the institution and will also take a print-out. This printout along-with all requisite documents (as prescribed in the print-out) will be submitted to the concerned institution. Student will get a temporary ID, which he/she will retain/keep with him/her for any further correspondence etc.

b) Uploading of documents by students is made mandatory for Fresh and Renewal cases. Scrutiny of online application on the basis of uploaded documents will be done by respective institute/District as per the selected workflow.

c) The institution will scrutinize and forward all these applications online by login on the same website with **User IDs and Passwords** (provided to them earlier by Department) by 20th October, 2015 for fresh and 25th November, 2015 for renewal applications.

Note:

a) Students/Institutes are advised to read the "FAQ's and Information for Institutes" available on the home-page of the website carefully before filling online applications and scrutiny by the institutes.

b) No off-line application will be entertained.

c) Eligible candidates under this scheme will send their uploaded applications alongwith the requisite document by post or by hand at Director-General, Social Justice & Empowerment Department Haryana, SCO No. 68-70, Sector-17A, Chandigarh-160017.

For more details visit www.minorityaffairs.gov.in & www.scholarships.gov.in

A.K. Yadav,
Director General

PRDH/27530

सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग, हरियाणा

एससीओ सं. 68-70, सैक्टर 17ए, चंडीगढ़

टेलीफोन (0172)-2703522, फैक्सः (0172)-2714614

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों से 2015-16 हेतु मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति हेतु आनलाईन आवेदन आमंत्रित हैं।

नई छात्रवृत्ति हेतु आवेदनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि 30.9.2015 है एंव छात्रवृत्ति के नवीकरण हेतु आवेदनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि 5.11.2015 है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा सूचित अल्पसंख्यक, समुदाय नामत मुस्लमानों, सिखों, ईसाइयों, बौधों, पारसियों एवं जैनियों से संबंधित छात्रों जो समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी / व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चयनित) कर रहे हैं, से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित योग्ता मानदंड एवं नियमों के अनुसार वर्ष 2015-16 हेतु मेरिट-सह-साधान आधारित छात्रवृत्तियों हेतु निर्धारित प्रारूप में आनलाईन आवेदन आमंत्रित हैं।

छात्रवृत्ति हेतु शर्तें :-

1. छात्र हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
2. छात्र के माता-पिता या अभिभावक (माता-पिता दोनों) की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 2.5 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3 .आय प्रमाण पत्र एवं अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र पहले वर्ग मैजिस्ट्रेट (एसडीएम / तहसीलदार) द्वारा जारी किया जाएगा, जिसके बिना आवदेन रद्द कर दिया जाएगा। आय प्रमाण पत्र एक वर्ष हेतु वैध होना चाहिए।
4. आनलाईन आवेदन करने हेतु आधार कार्ड नंबर आवश्यक है।
5. मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक स्तर या स्नोतकोत्तर स्तर तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। पाठ्यक्रम शुल्क एवं भरण-पोषण भत्ता चुने गए छात्रों के बैंक खाते में सीधे जमा किया जाएगा।
6. वे छात्र, जो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर कालेज में तकनीकी/ व्यवसायिक पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त करते हैं, वे भी छात्रवृत्ति के लिए योग्य होंगे।
7. वे छात्र, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के बिना तकनीकी/ व्यवसायिक पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त करते हैं, वे भी छात्रवृत्ति के लिए योग्य होंगे। तथापि, ऐसे छात्रों के उच्चतर माध्यमिक/ स्नातक स्तर पर 50% से कम अंक नहीं होने चाहिए। ऐसे छात्रों का चयन पूर्णतया मेरिट आधार पर किया जाएगा।
8. आगामी वर्षों में छात्रवृत्ति को जारी रखना, पिछले वर्ष के दौरान पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने पर निर्भर करेगा।
9. इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति धारक, पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए अन्य छात्रवृत्ति / वजीफा प्राप्त नहीं करेंगे।
10. छात्र आनलाईन आवेदन करते हुए अपना स्वयं / माता-पिता / अभिभावक को बैंक खाता नंबर, पैन कार्ड नंबर भरेंगे एवं उनका बैंक खाता नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए।
11. 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित की जाएंगी।

छात्रवृत्ति की दर

क्रं. सं.	वित्तीय सहायता का प्रकार	हॉस्टल वासियों के लिए दर	दिवा स्कालरों के लिए दर
1	भरण-पोषण भत्ता केवल 10 माह के लिए	10,000/- रूपए प्रतिवर्ष (1000/- रूपए प्रतिमाह)	5,000/- रूपए प्रतिवर्ष (500/- रूपए प्रतिमाह)
2	पाठ्यक्रम शुल्क*	20,000/- रूपए प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो	20,000/- रूपए प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो
	कुल	30,000/- रूपए (तीस हजार)	25,000/- रूपए (पच्चीस हजार)

*पूरा पाठ्यक्रम शुल्क सूचीबद्ध संस्थानों के लिए प्रतिपूर्ति किया जाएगा।

टाईम लाईन (नई एवं नवीकरण छात्रवृत्ति हेतु)

क्रं. सं.	गतिविधियां	तिथि (नए)	तिथि (नवीकरण)
1	छात्रों द्वारा नई/नवीकरण हेतु आनलाईन आवेदनों को जमा कराना	1 जून से 30 सितंबर 2015	1 जून से 15 नवंबर 2015 तक
2	संस्थानों द्वारा आनलाईन आवेदनों की जांच	1 जून से 20 अक्तूबर 2015	1 जून से 25 नवंबर 2015
3	राज्य द्वारा आनलाईन आवेदनों की जाचं	1 जून से 31 अक्तूबर 2015	1 जून से 5 दिसंबर 2015

ओवदन कैसे करें :-

1. योग्य छात्र वैबसाईट www.scholarships.gov.in पर आनलाईन आवेदन करें। छात्र संस्थानों को आनलाईन अपने आवेदन फारवर्ड करेंगे एवं प्रिंट आउट भी लेंगे। सभी आवश्यक दस्तावेजों(प्रिंट आउट में निर्धारित अनुसार) सहित यह प्रिंट आउट संबंधित संस्थान में जमा किए जाएंगे। छात्र अस्थायी आईडी प्राप्त करेंगे, जिसे वह किसी अन्य गतिविधि इत्यादि के लिए अपने साथ रखेगा/रखेगी।
2. नए एवं नवीकरण आवेदन हेतु छात्रों द्वारा दस्तावेजों की अपलोडिंग करना आवश्यक है। अपलोड दस्तावेजों के आधार पर आनलाईन आवेदन की जांच चयनित कार्यप्रवाह के अनुसार संबंधित संस्थान/ जिला द्वारा किया जाएगा।
3. संस्थान नए आवेदनों हेतु 20 अक्तूबर 2015 एवं नवीकरण आवेदनों हेतु 25 नवंबर 2015 द्वारा यूजर आईडी एवं पासवर्ड (विभाग द्वारा पहले ही उन्हें प्रावधान किया गया है) सहित इस वैबसाईट पर लॉगईन द्वारा ये सभी आवेदन आनलाईन फॉरवर्ड एवं जांच करेगा।

नोट :-

क) छात्रों / संस्थानों को सलाह दी जाती है कि आनलाईन आवेदन करने एवं संस्थानों द्वारा जांच से पहले अच्छी तरह से वैबसाईट के होम-पेज पर उपलब्ध "एफएक्यू एवं संस्थानों हेतु सूचना" पढ़ लें।

ख) कोई ऑफ-लाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ग) इस योजना के अधीन योग्य छात्र महानिदेशक, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग हरियाण, एससीओ सं. 68-70, सैक्टर 17ए, चंडीगढ़ 160017 पर डाक या दस्ती द्वारा आवश्यक दस्तावेजों सहित अपने अपलोड आवेदन भेजें।

अधिक विवरण हेतु www.minorityaffairs.gov.in एवं www.scholarships.gov.in पर जाएं।

27530

ऐ.के. यादव, महानिदेशक